समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

अनिल अंबानी और राणा कपूर पर सीबीआई का शिकंजा, 2,796 करोड़ के करप्शन केस मे दंाखिल हुई चार्जशीट

Publisher

Published on 19 Sep 2025

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उद्योगपति **अनिल अंबानी** और यस बैंक के पूर्व सीईओ **राणा कपूर** के खिलाफ **2796 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले** में चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट 18 सितंबर 2025 को दाखिल की गई, जिसने एक बार फिर **यस बैकं घोटाले** को सुर्खियों में ला दिया है।

मामला कब और कैसे शुरू हुआ ?

यह मामला साल **2022 मे दंर्ज** किया गया था। यस बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर सीबीआई ने जांच शुरू की। आरोप लगाया गया कि अनिल अंबानी के समूह की कंपनियाँ और राणा कपूर के परिवार से जुड़ी कंपनियाँ धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन में शामिल थीं।

आरोप क्या है ?

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक:

1. अनिल अंबानी समूह की दो प्रमुख कंपनियाँ —
    - **Reliance Commercial Finance Limited (RCFL)**
    - **Reliance Home Finance Limited (RHFL)**
      सीधे तौर पर संदिग्ध लेनदेन में शामिल थीं।
2. इन कंपनियों ने यस बैंक से **कर्ज और अन्य वित्तीय मदद** ली।

3. बदले में राणा कपूर और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को **लाभ पहुंचाया गया**।
4. इस पूरी प्रक्रिया में **यस बैंक को 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान** हुआ।

राणा कपूर की भूमिका

राणा कपूर, जो यस बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ रहे हैं, पहले से ही कई वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में आरोपित हैं।

- सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनियों को **अनुचित फायदा पहुँचाया**।
- इस केस में आरोप है कि कपूर ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को **अनुचित ऋण सुविधा दी** और इसके बदले अपने परिवार की कंपनियों के माध्यम से आर्थिक लाभ लिया।

अनिल अंबानी पर गंभीर आरोप

अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर पहले भी वित्तीय संकट और कर्ज चुकाने में नाकाम रहने के आरोप लगते रहे हैं।

- इस बार मामला सिर्फ डिफॉल्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें **साजिश और भ्रष्टाचार** के आरोप शामिल हैं।
- सीबीआई का कहना है कि यह लेनदेन योजनाबद्ध तरीके से किया गया था ताकि बैंक और निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग किया जा सके।

यस बैंक घोटाले की कड़ी

यह मामला यस बैंक घोटाले की एक और कड़ी है।

- 2020 में यस बैंक पर संकट छाया था, जिसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **SBI समेत अन्य बैंकों** की मदद से इसे बचाया।
- राणा कपूर को तब मनी लॉन्ड्रिंग और अनियमित ऋण स्वीकृति मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
- अब 2,796 करोड़ के नए आरोप इस घोटाले की गहराई को और उजागर करते हैं।

अदालत मे सुंनवाई

चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला अब अदालत में जाएगा।

- सीबीआई ने दस्तावेजी सबूत और गवाहों की सूची कोर्ट में पेश की है।
- संभावना है कि आने वाले हफ्तों में इस पर विस्तृत सुनवाई होगी।
- यदि आरोप साबित होते हैं, तो अनिल अंबानी और राणा कपूर दोनों को **सख्त सजा** का सामना करना पड़ सकता है।

उद्योग जगत मे हंलचल

इस मामले ने उद्योग जगत और वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है।

- निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है कि क्या अनिल अंबानी समूह की अन्य कंपनियाँ भी जांच के दायरे में आएंगी।
- यस बैंक पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है, और यह नया मामला उसकी छवि पर असर डाल सकता है।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि इस केस का असर न केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पड़ेगा, बल्कि बैंकिंग सेक्टर की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करेगा।

आर्थिक और सामाजिक असर

1. **बैंकिंग सेक्टर पर असर**: यस बैंक को पहले से ही घाटे की भरपाई करनी है। ऐसे में यह मामला उसकी साख को और नुकसान पहुँचा सकता है।
2. **अनिल अंबानी की छवि**: एक समय भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी की छवि पर यह एक और धक्का है।
3. **निवेशकों का विश्वास**: लगातार ऐसे मामलों से निवेशकों का विश्वास कॉर्पोरेट सेक्टर और बैंकिंग प्रणाली पर कमजोर हो सकता है।

विशेषज्ञों की राय

- **वित्तीय विशेषज्ञों** का कहना है कि यदि इस केस में दोष सिद्ध होता है, तो यह कॉर्पोरेट जगत में **एक बड़ा मिसाल** बनेगा।
- **कानूनी विशेषज्ञों** का मानना है कि चार्जशीट दाखिल होना इस बात का संकेत है कि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

अनिल अंबानी और राणा कपूर के खिलाफ दर्ज यह **2796 करोड़ रुपये का करप्शन केस** भारतीय कॉर्पोरेट और बैंकिंग इतिहास की एक बड़ी घटना साबित हो सकता है।

जहाँ एक ओर यह मामला **कॉर्पोरेट पारदर्शिता और गवर्नेंस** पर सवाल खड़े करता है, वहीं दूसरी ओर यह बताता है कि बड़े उद्योगपति और बैंक अधिकारी भी कानून से ऊपर नहीं हैं।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.